झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

प्रेस विज्ञप्ति

जिला दन्त चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत **जिला दन्त चिकित्सा पदाधिकारी के कुल–12 पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–04/2023)** हेतु अभ्यर्थियों का **अभिलेख सत्यापन दिनांक–19.02.2024** एवं **दिनांक–20.02.2024** को आयोग कार्यालय में आयोजित है। आवश्यक अनुदेश आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आयोग को प्राप्त Incomplete applications, Non-payment of Examination fee, Hard copy not submitted, Over Age, Time barred एवं Educational qualification not fulfilled संबंधी आवेदनों की सूची कारण सहित आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

3. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत जिला दन्त चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–04/2023) के संबंध में आवश्यक अनुदेश।

1. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

2. अभ्यर्थी बुलावा पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वाहन–10:00 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक–12.02.24 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नं0–+919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाहन्–11:00 बजे से अपराहन्–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
(ii) एम०डी०एस० डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (सभी सेमेस्टर का उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण सहित),
(iii) न्यूनतम 07 वर्षों का सरकारी संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र,

नोटः–अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग द्वारा अनुभव संबंधी विवरणी हेतु निर्गत 'प्रपत्र' को आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर अनुभव संबंधी विवरणी को भरते हुए संबंधित प्रमाण पत्र के साथ अभिलेख सत्यापन के समय समर्पित करेंगे।

(iv) जाति/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु),
(v) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (सभी वर्ग के महिला के लिए क्षैतिज आरक्षण हेतु)।
(vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),
(vii) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।
(viii) पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस)।

नोटः– **अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I, पिछड़ा वर्ग–II, EWS कोटि में आरक्षण का लाभ हेतु विज्ञापन की कंडिका–8 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

5. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम जो आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है उसके आलोक में अभ्यर्थिता पूर्णतः **औपबंधिक (Provisional)** है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।

6. अभिलेख सत्यापन घोषणा कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

7. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

प्रपत्र

न्यूनतम 07 वर्षों का सरकारी संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्य करने का अनुभव संबंधी विवरणी।

क्र0 सं0	सरकारी संस्थान का नाम	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का नाम	कुल अवधि	अभ्युक्ति
कुल अवधि				

हस्ताक्षर

नामः—

रजि0 सं0ः—